

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 21.07.2022

अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में नरेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक खोराबार की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.07.2022 को ग्राम जगदीशपुर में अभियुक्त रविन्द्र पासवान पुत्र स्व० कन्हई निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को 15 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर तथा शराब बनाने के उपकरण के साथ समय करीब 19:35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना खोराबार पर मु०अ०स० 323/2022 धारा 272 भा०द०वि० व 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण:- अवैध शराब निष्कर्षण के अंतर्गत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.07.2022 को ग्राम जगदीशपुर में अभियुक्त रविन्द्र पासवान पुत्र स्व० कन्हई निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को 15 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर तथा शराब बनाने के उपकरण के साथ समय करीब 19:35 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रविन्द्र पासवान पुत्र स्व० कन्हई निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०- 323/22 धारा 272 भादवि० व 60 आबकारी अधि०, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान /समय

ग्राम जगदीशपुर / दिनांक- 20.07.2022 को समय- 19.35 बजे

गिरफ्तारी की टीम

- 1.उ०नि० आशुतोष कुमार राय, चौकी प्रभारी जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. हे०का० हरेन्द्र प्रसाद, चौकी जगदीशपुर, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर
- 3.हे०का० अशोक सरोज, चौकी जगदीशपुर, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर
4. का० संतोष कुमार सिंह, चौकी जगदीशपुर, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर